# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जिला जोधपुर) राजस्थान

## पीठासीन अधिकारी :– श्री नेमा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 626/2025
जीसीएमएस नं. :– 2025/756
आरआरसीएमएस नम्बर 202601125600093

| प्रार्थीगण :– | बनाम | अप्रार्थीगण :– |
|---|---|---|
| 1. भागीरथ पुत्र गिरधारीराम जाति जाट निवासी साथीन तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर राज.। | | 1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर राज.। |

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता दर्ज दिनांक :–01/12/2025
1. रामकिशोर खोजा प्रार्थी की ओर से।
2. तहसीलदार पीपाड़ शहर अप्रार्थी की ओर से।

## निर्णय दिनांक :– 17/04/2026

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम साथीन तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 1452 रकबा 10.1569 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1449 रकबा 3. 1515 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1450 रकबा 0.1656 हैक्टयर भूमि आयी हुई है जो कि वादग्रस्त है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 सलंग्न पेश है। ग्राम साथीन की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2011, 2012, 2013, 2014 कुल खसरा 04 कुल रकबा 80 बीघा 01 बिस्वा भूमि गिरधारीराम पुत्र श्री मोतीराम की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन थी जिसमें गिरधारीराम पुत्र मोतीराम का 1/4 वां हिस्सा था। गिरधारीराम पुत्र मोतीराम ने अपने 1/4 वां सम्पूर्ण हिस्सा की भूमि जरीये बैचान रजिस्ट्री प्रार्थी भागीरथ पुत्र श्री गिरधारीराम को बैचान कर दी जिसका प्रार्थी के नाम से नामान्तरणकरण संख्या 344 दिनांक 20/10/2005 को स्वीकृत किया गया। तथा जमाबन्दी सम्वत 2058 से 2061 में गिरधारीराम पुत्र मोतीराम के स्थान पर प्रार्थी भागीरथ पुत्र श्री गिरधारीराम दर्ज इन्द्राज है लेकिन इसके पश्चात जमाबन्दी तैयार करते समय खसरा नम्बर 2011, 2012 में प्रार्थी का 1/4 वां हिस्सा दर्ज इन्द्राज हो गया लेकिन खसरा नम्बर 2013 में प्रार्थी का गलत रूप से 1/12 वां हिस्सा इन्द्राज हो गया तथा खसरा नम्बर 2014 में प्रार्थी का 1/4 वां हिस्सा इन्द्राज होने से रह गया। खसरा नम्बर 2013 की जमाबन्दी अलग से दर्ज है जिसके नये खसरा नम्बर 1452 दर्ज हुए इसलिए खसरा नम्बर 1452 रकबा 10.1569 हैक्टयर में प्रार्थी का 1/12 वां हिस्सा के स्थान पर 1/4 वां हिस्सा दुरस्त फरमावे तथा पुराने खसरा नम्बर 2014 के नये खसरा नम्बर 1449 खसरा नम्बर 1450 कुल खसरा 02 कुल रकबा 3.3171 हैक्टयर में प्रार्थी भागीरथ पुत्र श्री गिरधारीराम जाति जाट 1/4 वां हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दुरस्त कर इन्द्राज करने हेतु अप्रार्थी से दिनांक 18/09/2025 को निवेदन किया इस पर अप्रार्थी ने उक्त दुरस्ती माननीय न्यायालय हाजा से करवाने हेतु कहा इसलिए प्रार्थनापत्र रेकर्ड दुरस्ती हेतु पेश

उपखण्ड अधिकारी

करना पड रहा है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन है जिसमें प्रार्थी का 1/4वां हिस्सा है प्रार्थी संयुक्त रूप से अपने हक हिस्सें पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। वादग्रस्त आराजी का कानून अनुसार बंटवाडा किया हुआ नही है इसलिए राजस्व रेकर्ड की जानकारी नही रही। प्रार्थी ने हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क कर राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने गया तब हल्का पटवारी ने बताया कि प्रार्थी के. अन्य खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1452 में प्रार्थी का हिस्सा 1/4 के स्थान पर 1/12 वां हिस्सा गलत रूप से इन्द्राज हो गया तथा खसरा नम्बर 1449, 1450 में प्रार्थी का नाम इन्द्राज होने से रह गया इसलिए वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का हिस्सा दुरूस्त करवाना पडेगा। इसलिए प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र रेकर्ड दुरूस्ती हेतु पेश करना पड रहा है। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि ग्राम साथीन की राजस्व सीमा में पुराने खसरा नम्बर 2013 के नये खसरा नम्बर 1452 रकबा 10.1569 हैक्टयर में प्रार्थी का 1/12 वां हिस्सा के स्थान पर 1/4 वां हिस्सा दुरस्त फरमावे तथा पुराने खसरा नम्बर 2014 के नये खसरा नम्बर 1449 खसरा नम्बर 1450 कुल खसरा 02 कुल रकबा 3.3171 हैक्टयर में प्रार्थी भागीरथ पुत्र श्री गिरधारीराम जाति जाट 1/4 वां हिस्सा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दुरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को समन जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत जवाब अनुसार राजस्व ग्राम साथीन चक II के खसरा संख्या पुराना 2013 जिसके नये खसरा संख्या 1452 में 1/12 वां हिस्सा के स्थान पर 1/4 वां हिस्सा व खसरा संख्या पुराना 2014 जिसके नया खसरा संख्या 1449 व 1450 में प्रार्थी हिस्सा 1/4 वां हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है।

हमने पक्षकारान् बहस सुनी, वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का राजस्व ग्राम साथीन चक II के खसरा संख्या पुराना 2013 जिसके नये खसरा संख्या 1452 में 1/12 वां हिस्सा के स्थान पर 1/4 वां हिस्सा व खसरा संख्या पुराना 2014 जिसके नया खसरा संख्या 1449 व 1450 में प्रार्थी हिस्सा 1/4 वां हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

हमने पत्रावली, पत्रावली पर मौजूद दस्तावेज, तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत जवाब का अवलोकन एवं पक्षकारान् बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम साथीन चक II के खसरा संख्या पुराना 2013 जिसके नये खसरा संख्या 1452 में प्रार्थी का 1/12 वां हिस्सा के स्थान पर 1/4 वां हिस्सा व खसरा संख्या पुराना 2014 जिसके नया खसरा संख्या 1449 व 1450 में प्रार्थी हिस्सा 1/4 वां हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्जराजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त रिपोर्ट 560/3.2.2026 को निर्णय का भाग समझा जावेगा। इस आशय की तहरीर जारी हों।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 17/04/2026 ....................को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर